मैसर्स उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० (UJVNL) द्वारा प्रस्तावित बावला–नन्दप्रयाग जल विद्युत परियोजना (300MW) की पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुक्रम में कृत लोक सुनवाई दिनांक 18.10.2014, समय प्रातः 11.00 बजे, स्थान निकट बैराज स्थल बिरही, जनपद चमोली का कार्यवृत्त।

मै० उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० (UJVNL) द्वारा प्रस्तावित बावला–नन्दप्रयाग जल विद्युत परियोजना (300MW) की पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एंव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा किया गया। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय, चमोली द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, चमोली, डा० मेहरबान सिंह बिष्ट, की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन **स्थान–निकट बैराज स्थल बिरही, जनपद चमोली, समय प्रातः 11.00 बजे** किया गया। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ० अभियंता) एवं श्री संजय कुमार डिमरी (वैज्ञानिक सहायक) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा 11.00 बजे अपरान्ह लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ० अभि०) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै० उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० (UJVNL) द्वारा प्रस्तावित बावला–नन्दप्रयाग जल विद्युत परियोजना (300MW) का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र शाह टाइम्स व हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनांक 18.09.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि आम जन के विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जा रही है। मंच के माध्यम से

आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यकम के अध्यक्ष डा0 एम0एस0 बिष्ट, अपर जिलाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायगा।

इसी अनुक्रम में श्री संदीप सिंघल (निदेशक), यू0जे0वी0एन0 लिमिटेड, द्वारा प्रस्तावित बावला–नन्दप्रयाग जल विद्युत परियोजना (300 मेगावाट क्षमता) में उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं जन समुदाय का स्वागत किया गया और कहा गया कि परियोजना का निर्माण राज्य सरकार के उपकम में यू0जे0वी0एन0एल0 द्वारा किया जा रहा है, जो कि स्थानीय निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। परियोजना की विस्तृत जानकारी श्री संजीव लोहानी (डी0जी0एम0) द्वारा दी गयी और कहा गया कि उक्त परियोजना अलकनंदा नदी पर रन ऑफ रीवर परियोजना है। परियोजना की क्षमता 300 मेगावाट है। उक्त परियोजना में कंकीट का बैराज एक इनटैक्स संरचना, डिसल्टिंग बेसिन एक हैड रेरा टर्नल, एक सीमित छिद्र प्रकार का सर्च टैंक, प्रेशर शॉफ्ट, भूमिगत पेन स्टॉक एवं भूतलीय बिजलीघर होगें। डिजाइन के अनुसार बहाव 239.4 मीटर^3 प्रति सेकेण्ड है। परियोजना स्थल में अलकनंदा के जलागम का क्षेत्र 5590 वर्ग किमी0 का है। बैराज के शिखर पर लम्बाई 123 मीटर होगी। हैड रेस टर्नल 10.375 लम्बी एवं घोड़े के नाल के आकार की होगी। बिजलीघर 300 मेगावाट क्षमता भूतलीय होगा, जिसकी लम्बाई 120 मीटर, चौड़ाई 22.2 मीटर तथा ऊँचाई 44 मीटर होगी। उक्त परियोजना में कुल 9.0 है0 (लगभग) निजी भूमि अधिकृत की जानी प्रस्तावित है, जो कि राज्य सरकार की पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति 2013 के अनुसार ही अधिकृत किया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के पश्चात जनसमूह से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में सुझाव/अपत्तियां आमन्त्रित की गई, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

1. **श्री प्रकाशचन्द्र (ग्राम प्रधान), निवासी ग्राम बावला** द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना निर्माण के फलस्वरूप बैराज स्थल पर जल भराव होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों के चरवाह क्षेत्र एवं शव दहन क्षेत्र पूर्णतः प्रभावित होगा। उनके द्वारा कहा गया कि स्थानीय ग्रामीण के हकहकूक मिलना चाहिए।

2. **श्रीमती छम्मो देवी निवासी रांगतोली द्वारा** अवगत कराया गया कि परियोजना में सुरंग के निर्माण से पूरे गांव को खतरा होगा। इसलिये पूरे गांव को विस्थापित किया जाना चाहिए।

3. **श्री हरीश पुरोहित निवासी बिरही द्वारा** अवगत कराया गया कि परियोजना के निकटतम गांव बिरही एवं अन्य प्रभावित गांवो के जन प्रतिनिधियों को लोक सुनवाई हेतु सूचना प्रेषित नहीं की गयी एवं कहा गया कि ग्राम बिरही, मायापुर, गाडी, छिनका को भी प्रवाहित श्रेणी में लिया जाये।

4. **श्री राजपाल सिंह असवाल, निवासी रांगतोली द्वारा** अवगत कराया गया कि ग्राम रांगतोली सन् 1962 से ही भू–स्खलित क्षेत्र में आच्छादित है। परियोजना निर्माण से गांव में भूस्खलन में वृद्धि होगी। अतः सम्पूर्ण गांव को परियोजना निर्माण से पूर्व विस्थापित/पुर्नवास किया जाये। साथ ही राज्य सरकार की पुर्नवास एवं विस्थापन नीति 2013 के पूर्णतः अनुपालन के उपरांत ही स्थानीय ग्रामीण अपनी सहमति प्रदान करेंगे।

5. **श्री पीताम्बर दत्त तिवारी, निवासी पुरसाडी द्वारा** अवगत कराया गया कि परियोजना एवं परियोजना निर्माण में स्थानीय निवासियों को नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये एवं प्रभावित गांव के एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाये। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कहा गया कि भू–स्खलन वाले गांवों को पूर्णतः विस्थापित किया जाये एवं भूमि मुवाअजे को सर्किल रेट के 8 गुना किया जाये। परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में जल स्रोत सूखने की स्थिति में पेयजल की पूर्णतः व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। परियोजना प्रभावित स्थानीय ठेकेदारों को परियोजना के कार्यों में प्राथमिकता दी जाये एवं प्रभावित क्षेत्र में पॉलिटेक्निक/आई.टी.आई कॉलेज खोला जाये। पुरसाडी में भोरा गांव तक सड़क निर्माण किया जाये।

6. **श्री मनोज लाल (ग्राम प्रधान), निवासी हरमनी द्वारा** कहा गया कि प्रभावित गांवों का विस्थापन किया जाये एवं परियोजना प्रभावित व्यक्ति को रोजगार दिया जाये।

7. **श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम गोलिम द्वारा** अवगत कराया गया कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के मध्येनजर सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रभावित श्रेणी में लिया जाए।

8. **श्री पूरण सिंह फर्स्वाण (पूर्व प्रधान), निवासी गोलिम द्वारा** अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई ग्रामीण स्तर पर की जानी चाहिए तथा परियोजना में होने वाले प्राकृतिक क्षति हेतु जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और कहा गया कि लासी, पलेठी, सेमडुंगरा को भी प्रवाहित क्षेत्र मे सम्मिलित किया जाये।

9. **श्री मंगल सिंह गडिया (पूर्व प्रधान) निवासी गाडी गांव (बेरूवगड), द्वारा** अवगत कराया गया कि परियोजना में बैराज स्थल का निर्माण ग्राम गाडी (बेरूवगड) में

किया जाना है किन्तु उक्त गांव को प्रवाहित श्रेणी में नहीं लिया गया है। उ... को प्रवाहित श्रेणी में लेकर स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलना चाहिए।

10. **श्री गौरव फरस्वाण, निवासी गाडी द्वारा** परियोजना निर्माण में सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया कि परियोजना निर्माण के पूर्व त्रिपक्षीय (राज्य सरकार, कार्यदायी संस्था एवं स्थानीय जनता) समझौता के आधार पर नीति निर्धारण किया जाये। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम गाडी, जिसकी भूमि बैराज स्थल हेतु अधिग्रहित की जानी है, का नाम भी परियोजना के नाम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि बावला गांव के एक तरफ टी0एच0डी0सी0 परियोजना व दूसरी तरफ बावला–नन्दप्रयाग परियोजना के प्रारम्भ होने से बावला गांव पूर्णतः प्रवाहित होगा, जबकि फरस्वाण पट्टी के सभी गांव सुरंग एवं बैराज निर्माण में प्रवाहित होंगे। इसलिये सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रवाहित क्षेत्र की श्रेणी में लिया जाना चाहिए।

11. **श्री देवेन्द्र फरस्वाण, निवासी पलैठी द्वारा** कहा गया कि परियोजना में प्रवाहित गांवों में ग्राम पलेठी को शामिल नहीं किया गया है। जबकि ग्राम पलेठी परियोजना से प्रवाहित होगा।

12. **श्री राजदीप फरस्वाण, निवासी ग्राम सेमडुंगरा द्वारा** अवगत कराया गया कि परियोजना निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है। परियोजना में प्रवाहित गांवों को पूर्णतः सर्वेक्षण नहीं किया गया हैं उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम रांगतोली भू–स्खलन श्रेणी में आच्छादित है। जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा ग्राम रांगतोली को प्रवाहित श्रेणी में नहीं लिया गया है।

13. **श्री देवेन्द्र नेगी (जिला पंचायत सदस्य), निवासी बन्ड द्वारा** परियोजना से सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया कि परियोजना में स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए एवं स्थानीय प्रभावित गांवों का पुर्नवास/विस्थापन होना चाहिए।

14. **श्रीमती ऊषा रावत (जिला पंचायत सदस्य) द्वारा** कहा गया कि परियोजना निर्माण का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलना चाहिए। चूंकि पूर्ण क्षेत्र पूर्व से ही आपदाग्रस्त है। परियोजना निर्माण में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के साथ–साथ सहमति भी ली जानी चाहिए।

15. **श्री खेम सिंह, निवासी ग्राम खैनुरी द्वारा** कहा गया कि परियोजना की प्रवाहित श्रेणी ग्राम खैनोरी को भी लिया जाना चाहिए एवं प्रभावित लोगों की मांगो के पूर्ण होने पर ही परियोजना बनायी जानी चाहिए।

16. **श्री एस0एस0 राणा (सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य), निवासी छिनका द्वारा** पूछा गया कि परियेजना निर्माण में बैराज का स्तर क्या होगा? तथा बैराज के निचले हिस्से में स्थित गांवो को प्रवाहित श्रेणी में लिया जाना चाहिए। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम भीमतला, छिनका, अपर चमोली एवं क्षेत्रपाल को भी प्रवाहित श्रेणी में लिया जाना चाहिए एवं परियोजना निर्माण में पर्यावरण सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए।

17. **श्री कुलदीप शर्मा (सभाषद), निवासी गोपेश्वर, चमोली द्वारा** अवगत कराया गया कि परियोजना से प्रभावित गांवों में क्षेत्रपाल, भीमतला, छिनका एवं चमोली को भी शामिल किया जाना चाहिए।

18. **श्री शिवराज सिंह, निवासी गाडी द्वारा** कहा गया कि बैराज स्थल का 80 प्रतिशत भाग ग्राम गाडी में प्रस्तावित है। इसलिये परियोजना का नाम ग्राम गाडी भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। परियोजना में प्रभावित गांवों एवं ग्रामीणों की सलाह के उपरांत ही निर्माण किया जाना चाहिए।

19. **श्री प्रेमसिंह रावत, निवासी मैठाणा द्वारा** परियोजना का स्वागत किया गया और कहा गया कि परियोजना हेतु स्थानीय स्तर पर सहमति होनी आवश्यक है।

20. **सूबेदार आनन्द सिंह (क्षेत्र पंचायत सदस्य), निवासी लासी द्वारा** परियोजना में सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि सुरंग के शुरू से अन्त तक सभी गांवों को प्रभावित श्रेणी में लिया जाना चाहिए। परियोजना में प्रभावित गांवों के विस्थापित होने के बाद ही परियोजना प्रारम्भ की जानी चाहिए।

21. **श्री गोविन्द सिंह नेगी, निवासी खैनूरी द्वारा** अवगत कराया गया कि परियोजना निर्माण से पूर्व स्थानीय व्यक्तियों के सुझाव लिये जाने चाहिए। सम्पूर्ण क्षेत्र आपदाग्रस्त है, परियोजना निर्माण से भी क्षेत्र प्रभावित होगा। अतः सम्पूर्ण क्षेत्र को परियोजना प्रभावित श्रेणी में लिया जाये एवं सुरंग निर्माण से प्रभावित गांवों में जल स्रोत सूखने की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

22. **श्री नन्दन सिंह बिष्ट (पूर्व प्रमुख दशोली) द्वारा** कहा गया कि पूर्व लोक सुनवाई में शामिल बिन्दुओं को इस लोक सुनवाई में शामिल नहीं किया गया है। परियोजना से होने वाले दुस्प्रभाव को रोकने हेतु समुचित उपाय किये जाने चाहिए। मै0